प्रपत्र- 23

परियोजना का नामः– केन्द्रीय औषधीय एवं सगंध पौंधा सस्थान, पन्तनगर को लीज पर दी गयी वन भूमि का लीज नवीनीकरण किया जाना।

ग्राम सभा का अनापत्ति प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि तराई पूर्वी वन प्रभाग, हल्द्वानी के गौला राजि के अर्न्तगत खमियां ब्लौक में केन्द्रीय औषधीय एवं सगंध पौंधा सस्थान, पन्तनगर के लीज नवीनीकरण से हम ग्राम वासीयों को कोई आपत्ति नहीं है।

ग्राम प्रधान
ग्राम प्रधान / सरपंच
ग्राम पंचायत खमिया नं.-1
वि०ख०-रूद्रपुर (ऊधम सिंह नगर)

प्रपत्र—23

परियोजना का नाम :— केन्द्रीय औषधीय एवं सगंध पौधा संस्थान अनुसंधान केन्द्र, पन्तनगर

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण—पत्र

ग्राम पंचायत का नाम खमिया नं0 1 जवाहर नगर
तहसील- किच्छा, जिला— ऊधम सिंह नगर

अनापत्ति प्रमाण पत्र

जिला ऊ0सि0नगर उत्तराखण्ड में अप्रोक्ता —परियोजना के निर्माण हेतु (115.79 हे0 आरक्षित वन भूमि, 115.79 हे0 सिविल सोयम भूमि....0 हे0, वन पंचायत भूमि ——— हे0) अर्थात कुल 115.79 हे0 वन भूमि का अप्रोक्ता —विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत खमिया नं0 1 द्वारा दिनांक 25/5/17 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। * उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम खमिया नं0 1 जवाहर नगर के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि ———प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह0/— ग्राम सचिव
ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत ....
वि0ख0-रुद्रपुर

ह0/— ग्राम प्रधान
ग्राम प्रधान
ग्राम पंचायत खमिया नं.-1
वि0ख0-रुद्रपुर (ऊधम सिंह नगर)

नोट :— * यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तद्नुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।
उक्त प्रपत्र प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा प्राप्त कर प्रस्ताव के साथ संलग्न किया जाना है।

प्रपत्र–23.1

दिनांक 25/6/17 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत खानेसा नं०1 जवाहर नगर

कमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1-	अनिल कुमार शाह	अनिल शाह
2-	जसवन्त सिंह — वार्ड-5	जसवन्त सिंह
3-	कान्त सिंह जलाल — वार्ड-10	A.S. Jalal
4-	प्रमोद सिंह	P.K. Rawat
5-	संजय वर्मा	Sanjay
6-	दिवान सिंह बिष्ट	दिवान सिंह
7-	प्रकाश बिष्ट	[illegible]
8-	कैलाश वर्मा	K.C. Verma
9-	कन्दर्प शाह	K.D.
10-	कैलाश जोशी	K. Joshi
11-	श्रीमती इन्दु चौधरी — वार्ड मे० (11)	Indira
12-	श्रीमती मुन्नी चौहान — वार्ड मे० (12)	मुन्नी चौहान
13-	श्रीमती गीता आर्या — वार्ड मे० (13)	गीता देवी
14-	हरीश सिंह बिष्ट	हरीश सिंह
15-	जोगेन्द्र कार्की	Jogesh
16-	भवन मठपाल	B.C.

प्रपत्र–23.2

परियोजना का नाम :– केन्द्रीय औषधीय एवं सगंध पौधा संस्थान अनुसंधान केन्द्र, पन्तनगर

कार्यालय उप जिलाधिकारी, ———

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत

प्रमाण–पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति, ———

उपखण्ड रुद्रपुर परिक्षेत्र के अन्तर्गत तराई पूर्वी वन प्रभाग, हल्द्वानी गौला रोज अनुभाग 115.79 हे0 आरक्षित वन भूमि, शून्य हे0 सिविल एवं सोयम वन भूमि शून्य हे0 वन पंचायत भूमि, अर्थात कुल 115.79 हे0 वन भूमि) का के0औ0एवं सं0पौ0सं0 पन्तनगर प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनूसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील किच्छा) की दिनांक 15/7/2013 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:–

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री तीर्थ पाल, उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

(किच्छा)

1– श्री तीर्थ पाल उपजिलाधिकारी ——— अध्यक्ष

2– श्री नवीन चन्द्र भट्ट उप प्रभागीय वनाधिकारी गौला तराई पूर्वी वन ——— सदस्य

3– श्री ——— सहायक समाज कल्याण अधिकारी रुद्रपुर सदस्य/सचिव

4– श्री दिग्विजय सिंह बी0डी0सी0 क्षेत्र ——— सदस्य

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि केन्द्रीय औषधीय एवं सगंध पौधा संस्थान, अनुसंधान केन्द्र, पन्तनगर को लीज पर दी गयी ——परियोजना हेतु 115.79 हे0 वन भूमि

——— प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, गौला ———द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड रुद्रपुर परिक्षेत्र के अन्तर्गत केoओoएनoसीo एनo एचo पन्तनगर के नवीनीकरण परियोजना के निर्माण हेतु 11.5.79 हेo वन भूमि CIMAP प्रयोक्ता एजेन्सी। को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी/अक्ष्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील–.............
जनपद.............

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, ऊधम सिंह नगर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

15/7/13

उप जिलाधिकारी/अक्ष्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील–.............
जनपद.............

दिग्विजय सिंह
क्षेत्र पंचायत सदस्य
विकास खण्ड-रुद्रपुर,
जिला-ऊधमसिंह नगर

उप प्रभागीय वनाधिकारी
(टांडा)
तराई पूर्वी वन प्रभाग, हल्द्वानी.

सहायक समाज कल्याण अधिकारी
ऊधम सिंह नगर

प्रपत्र–23.3

परियोजना का नाम :– केन्द्रीय औषधीय एवं सगंध पौधा संस्थान अनुसंधान केन्द्र, पन्तनगर

जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण–पत्र

जनपद–उ0 सिं0 नगर के अन्तर्गत वन भूमि पर प्रस्तावित अध्येता परियोजना द निर्माण हेतु 1.15 है0 वन भूमि ....प्रयोक्ता एजेन्सी को प्रत्यावर्तित किये जाने हे उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष, उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति .... तथा सम्बन्धि ग्राम सभाओं द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण–पत्र निर्गत किये गये हैं। वन अधिका अधिनियम, 2006 के तहत व संलग्न प्रमाण–पत्रों के अनुसार परियोजना के निर्माण किसी अनुसूचित जनजाति व वनवासी की भूमि अधिग्रहित नहीं हो रही है। परियोजना व निर्माण से प्रभावित होने वाली वन भूमि में कोई भी दावा लम्बित नहीं है।

ह0/–
जिलाधिकारी
जिलाधिकारी
उधमसिंह नगर

नोट :–वन अधिकार अधिनियम, 2006 के तहत वॉछित समस्त सूचनायें प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा प्राप्त कर प्रस्ताव के साथ संलग्न की जानी है।